भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3404

09 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

चीन के प्रतिबंध पश्चात् इस्पात संयंत्र का विस्तार

3404. श्री बृजेन्द्र सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्व के सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश चीन द्वारा नए लागू किए गए प्रतिबंधों के कारण देश में इस्पात कारोबार के विस्तार के अवसर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात उत्पादन में विस्तार के लिए सरकार के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इसके अनुसरण में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) जून 2021 के अनुसार देश की इस्पात उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) और (ख): जी हाँ। अलग-अलग इस्पात विनिर्माण कंपनियों द्वारा व्यवसाय संबंधी विभिन्न निर्णयों को लेते समय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों जैसे कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्पात क्षमता को और बढ़ाने पर सीमा निर्धारित करना और इस्पात उत्पादों पर निर्यात टैरिफ में वृद्धि, निर्यात कर छूट को हटाने जैसे उपायों सहित बाजार की गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। सरकार ने देश में इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं:-

(i) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति के संवर्धन हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(ii) घरेलू रूप से सृजित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को जारी करना।

(iv) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को अधिसूचित करना।

(v) 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

(vi) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रगणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।

(vii) देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र सहित संगत हितधारकों के साथ सहभागिता।

(viii) इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।

(ग): 30 जून, 2021 की स्थिति के अनुसार देश की कुल इस्पात उत्पादन क्षमता 143.91 मिलियन टन है।

****